संख्या-887/2017/2163/22-2-2017-17(55)/2005

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अलाउद्दीन पुत्र श्री फीजू, निवासी जनपद-मेरठ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31748/प्रोबे0-5-दयायाचिका/249, दिनांक 01.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अलाउद्दीन पुत्र श्री फीजू, जो ग्राम-हाजीपुर, थाना-खरखौंदा, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पूर्व में भाई की हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 11-02-1973 को 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, पिस्तौल, लाठी व बल्लम से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-269/1973 में भा0द0वि0 की धारा-302, 149, 148 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 30.10.1973 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.1978 द्वारा दोषमुक्त किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.1990 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.12.2016 तक 12 वर्ष 06 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 08 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी अलाउद्दीन (बन्दी संख्या-9718) पुत्र श्री फीजू, निवासी जनपद-मेरठ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-887/2017/2163(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in